हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणू के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2014 से 3/2015

भाग–एक

1 प्रस्तावना

(क) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम–2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहीत प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः एच0एस0जी0–4(डी)1–1/922, दिनांक 13.9.2004 के अनुसार, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को अधिकृत किया गया है। तदानुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल परवाणू जिला सोलन के अवधि 4/2014 से 3/2015 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान श्री रमेश चन्द भाटिया, अधिशाषी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण/संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणू के अवधि 4/2014 से 3/2015 के लेखाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि लाखों में
1	विविध अग्रिमों की राशि का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	4	14.39
2	विभिन्न आवास बस्तियों तथा लोक निर्माण विभाग से रख–रखाव प्रभार की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	5(क), 5(ख)	236.00
3	जल आपूर्ति योजनाओं से जल प्रभार की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	6(क)	35.99
4	जल आपूर्ति योजना के संचालन पर आय की तुलना में अधिक व्यय करना	8	81.70
5	**C/o 192 Nos. housing for Urban Poor integrated Housing & Slum Development Programme in Sec-4, Parwanoo -** संविदाकार को अधिक भुगतान करना	10	1.88
6	**Development of Housing Colony at Shubkhera** निर्माण कार्य हेतु 86 बैग सीमेन्ट की खपत गलत दर्शा कर संविदाकार को अनुचित लाभ देने बारे	14(ख)	0.35
7	Service Tax की राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा न करवाना	17	6.30
8	Labour Cess की राशि को सम्बन्धित बोर्ड में जमा न करवाना	18	11.40
9	संविदाकारों के चलित बिलों से Service Tax की कटौती न करके उनको अनुचित लाभ प्रदान किए जाने बारे	19	6.80
10	संविदाकार को जारी सीमेन्ट के मूल्य की राशि Contractor Ledger में Debit न किया जाना	20	0.86
11	बिजली के बिलों में Sundry Charges का अनियमित भुगतान करना	22	37.58

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न **परिशिष्ट–''क''** में दर्शाई गई है। वर्ष 4/1984 से 3/2014 तक मण्डल से सम्बन्धित 16 पैरे शेष हैं, जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्रम संख्या	वर्ष	शेष पैरों की संख्या	
1	1984–85	1	(निर्माण मण्डल मण्डी मे स्थानांतरित)
2	1991–92	3	(निर्माण मण्डल शिमला–2 मे स्थानांतरित)
3	1995–96	1	
4	2000–01	1	
5	2006–07	1	
6	2008–09	1	
7	2009–10	0	
8	2010–11	1	
9	2012–13	1	
10	2013–14	6	
	कुल पैरे	**16**	

अतः अधिशाषी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणू जिला सोलन हिमाचल प्रदेश से अनुरोध है कि उपरोक्त शेष अनिर्णीत पैरों के सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त इन पैरों का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणू के अवधि 1.4.2014 से 31.3. 2015 के लेखाओं का अंकेक्षण, श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी (ले0प0) श्री रविंदर सिंह, अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा दिनांक 8.3.2016 से 11.5.2016 तक, श्री पदम सिंह कंवर, उप निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला–09 के पर्यावेक्षण में परवाणू में किया गया। विस्तृत जांच के लिए माह 8/2014 के लेखों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण, अधिशाषी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणू द्वारा प्रेषित सूचनाओं के आधार पर किया गया है। उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी प्रकार की अधूरी सूचना उपलब्ध करवाने अथवा सूचना

उपलब्ध न करवाने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिमाचल प्रदेश) शिमला–09 का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, क्योंकि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण केवल चयनित मासों तक ही सीमित रखा गया है।

3 अंकेक्षण शुल्क

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल परवाणू के अवधि 4/2014 से 3/2015 के लेखाओं का अंकेक्षण करने के शुल्क की राशि जमा करवाने हेतु सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण शिमला–02 को अलग से अनुरोध किया जाएगा।

4 विविध अग्रिमों की ₹14.39 लाख समायोजन हेतु शेष पाया जाना

विविध अग्रिम से सम्बन्धित विवरण की जांच करने पर पाया गया कि निर्माण मण्डल परवाणू के खातों में दिनांक 31.3.2015 को विभिन्न विभागों/फर्मों/संविदाकारों से ₹14,39,512 समायोजन हेतु शेष थी, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट–"ख"** पर दिया गया है। जांच करने पर पाया गया कि विविध अग्रिम की अधिकतर राशियाँ अनेक वर्षों से निपटारे हेतु लम्बित पड़ी हुई हैं। अतः इस सम्बन्ध में अग्रिम के समायोजन हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

5 रख–रखाव प्रभार की राशि की वसूली से सम्बन्धित अनियमितताएं

(क) विभिन्न आवास बस्तियों से रख–रखाव प्रभार की ₹165.06 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमुडा मण्डल परवाणू के रख–रखाव से सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि विभिन्न आवास बस्तियों के मालिकों/फैक्टरी मालिकों/आबंटियों से दिनांक 31.3.2015 तक रख–रखाव प्रभार की ₹1,65,06,104 वसूली योग्य शेष थी, जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के समक्ष विशेष ध्यानार्थ लाया जाता है ताकि आवास बस्तियों से रख–रखाव प्रभार की शीघ्र वसूली सुनिश्चित हो सके। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

आवास बस्ती का नाम	दिनांक 31.3.2015 को वसूली योग्य राशि
Housing Colony Phase I & II Baddi	1,22,830
Housing Colony Phase-III Baddi	19,397
Housing Colony Phase-IV Batolikalan	5,19,939
Industrial Area Batolikalan	6,22,320
Housing Colony Nalagarh	1,94,079

Housing Colony Mandhala	14,40,240
Housing Colony KaluJanda	39,09,157
Housing Colony Parwanoo	18,48,158
Housing Colony Paonta Sahib	74,68,101
Housing Colony Subhkhera	2,32,455
Housing Colony MogiNand	1,29,428
Total	**1,65,06,104**

(ख) लोक निर्माण विभाग से रख–रखाव प्रभार की ₹70.94 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

लोक निर्माण विभाग मण्डल पांवटा साहिब से दिनांक 31.3.2015 को रख–रखाव प्रभार की ₹70,93,973 वसूली योग्य शेष थी, जिसकी वसूली नहीं की गई। इस प्रकार रख–रखाव प्रभार की वसूली न करना एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस आशय से लाया जाता है कि इस सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्रवाई एवं अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

(ग) रख–रखाव प्रभार के सरचार्ज की ₹25,857 वसूली न करना

निर्माण मण्डल परवाणू के रख–रखाव शुल्क से सम्बन्धित नियमों के अनुसार यदि बिल प्राप्तकर्त्ता रख–रखाव प्रभार के बिल जारी करने के 30 दिन के भीतर बिल की राशि का भुगतान नहीं करता, तो बिल की राशि पर 14% वार्षिक दर से सरचार्ज की वसूली की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण के दौरान रख–रखाव प्रभार से सम्बन्धित अभिलेख/खाता बही की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में उप–मण्डल बद्दी के अधीन आवास बस्ती धारकों से रख–रखाव प्रभार के बिल जारी करने के 30 दिन के पश्चात रख–रखाव प्रभार की वसूली की गई थी परन्तु इन आवास बस्ती धारकों से देरी हेतु सरचार्ज की वसूली नहीं की गई थी। इस प्रकार ₹25,857 के सरचार्ज को वसूल न किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹25,857 के सरचार्ज की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Detal of Less Receipt of Maintaenance Charges

Name & Add of Plot	Ledger Page No.	Year	Amount of Demand	Date of Issue of Bill	Date of receipt	Amount of Surcharge @14%	Total Amount Due	Amount Received	Amount Less Received
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Plot No. 11 Industrial Area	11	2013-14	31288	1-10-13	2-8-14	4380	35668	34417	1251

Bhatolikala									
Plot No. 40 Insdustrial Area Bhatolikala	40	2012-13	10000	14-8-12	17-8-13	1400	11400	11000	400
Plot No. 40 Industrial area Bhatolikala	40	2013-14	10000	1-10-13	16-7-14	1400	11400	11000	400
Plot No. 45 Industrial Area Bhatolikala	45	2013-14	19500	1-10-13	27-8-14	2730	22230	21450	780
Plot No. 63 Industrial Area Bhatolikala	62	2013-14	124232	1-10-13	13-10-14	17392	141624	136655	4969
Plot No. 63 Industrial Area Bhatolikala	62	2014-15	129201	27-9-14	22-5-15	18088	147289	129232	18057
								Total	**25857**

(घ) रख–रखाव प्रभार मांग एवं संग्रह रजिस्टर में विभिन्न प्लाटों के मालिकों से रख–रखाव प्रभार की कम मांग का लेखांकन करना

निर्माण मण्डल परवाणू के रख–रखाव शुल्क से सम्बन्धित मांग एवं संग्रह रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि विभिन्न इंडस्ट्रियल प्लाटों के मालिकों से कम मांग की प्रविष्टि की गई थी। कम मांग की प्रविष्टि किए जाने के कारण इन इंडस्ट्रियल प्लाटों के मालिकों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ दिया गया था। इस सन्दर्भ में कुछेक प्लाट मालिकों का विवरण निम्न दिया गया है। अतः इस सन्दर्भ में मण्डल स्तर पर आन्तरिक जांच करके सभी इंडस्ट्रियल प्लाट धारकों से रख–रखाव प्रभार मांग की उचित जाँच की जाए तथा साथ ही सही प्रभार की प्रविष्टियां रख–रखाव प्रभार के मांग एवं संग्रह रजिस्टर में की जानी सुनिश्चित की जाएं तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

Detail of Less Demand of Maintenance Charges

Name & Address of Plot	Ledger Page No	Period for which less Demand was Raised	Amount of Yearly Demand	Amount of Demand Raised in the Demand & Collection Register	Amount of Surcharge @ 14% Due but not included in the Demand Raised in the Demand & Collection Register	Total Amount Due as Calculated by Audit (Inclusive of Amount of Surcharge)	Difference
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Industrial Plot No. 1 Kalughanda, Baddi	1	1-4-12 to 31-3-13	11357	12493	1590	12947	454
Industrial Plot No. 3	3	1-4-12 to	33540	36894	4696	38236	1342

Kalughanda Baddi		31-3-13					
Industrial Plot No. 8 Kalughanda, Baddi	8	1-4-12 to 31-3-13	17226	18948	2412	19638	690

(ड़) इंडस्ट्रियल प्लाट संख्या 4, कामली के लिए वर्ष 2007–08 से 2012–13 के रख–रखाव प्रभार की मांग को सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज न किए जाने बारे

निर्माण मण्डल परवाणू के रख–रखाव शुल्क से सम्बन्धित मांग एवं संग्रह रजिस्टर की पड़ताल करने पर पाया गया कि इंडस्ट्रियल प्लाट संख्या–4 कामली के सन्दर्भ में वर्ष 2007–08 से 2012–13 तक के रख–रखाव प्रभार की मांग रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई थी तथा उपरोक्त अवधि की मांग में Penal Interest नहीं जोड़ा गया था। इस प्रकार रख–रखाव प्रभार की मांग Penal Interest सहित न करने के कारण इस इंडस्ट्रियल प्लाट के मालिक को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ दिया गया जिसके परिणामस्वरूप निर्माण मण्डल को ₹12,302 की हानि हुई तथा जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अतः इस प्लाट के सम्बन्ध में वर्ष 2007–08 से 2012–13 तक के रख–रखाव प्रभार की मांग न किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। साथ ही इस प्लाट के सन्दर्भ में वर्तमान में रख–रखाव प्रभार की मांग में वृद्धि की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य मामलों की पड़ताल निर्माण मण्डल स्तर पर की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

Detail of Less Demand of Maintenance Charges

Name & Address of Plot	Year	Opening balance	Demand during the year	Total	Interest	Total Amount due	Demand Raised in the Demand & Collection Register	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Plot No. 4 Kamli, Parwanoo Ledger P.No.	2007-08	-	4514	4514	632	5146		
	2008-09	5146	5029	10175	1425	11600		
	2009-10	11600	5029	16629	2328	18957		
	2010-11	18957	5029	23986	3358	27344		
	2011-12	27344	5029	32373	4532	36905		
	2012-13	36905	5029	41934	5870	47804	35502	12302

6 जल–प्रभार की राशि की वसूली से सम्बन्धित अनियमितताएं

(क) जल आपूर्ति योजनाओं से जल प्रभार की ₹35.99 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

जल प्रभार से सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि आवास बस्तियों के मालिकों/फैक्टरी मालिकों/आबंटियों से दिनांक 31.3.2015 तक जल प्रभार के रूप में ₹35,98,664 वसूली योग्य थी, जिसका पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया

कि जल प्रभार की वसूली योग्य राशि में निरंतर बढ़ौतरी हो रही है, जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के समक्ष आवास बस्तियों के मालिकों/आबंटियों से जल प्रभार के रूप में वसूली योग्य राशि की शीघ्र वसूली करने हेतु लाया जाता है तथा इस सन्दर्भ में कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

Sr. No.	Name of Water Supply Scheme	Amount
1	Water Supply Scheme Parwanoo Sub-Division	18,17,024
2	Water Supply Scheme Baddi Sub-Division	15,63,162
3	Water Supply Scheme Kalughanda	1,50,128
4	Water Supply Scheme Mandhala	370
5	Water Supply Scheme Nalagarh	50,363
6	Water Supply Scheme Paonta Sahib	17,617
	Total	**35,98,664**

(ख) उप–मण्डल परवाणू के उपयोक्ताओं से जल प्रभार की कम दर से वसूली किए जाने बारे

पत्र संख्याः HIMUDA 15-161/83-SE(S)-Tech-Vol-XI-1691-92, dated 26-8-2014 से HIMUDA द्वारा निर्माण उप मण्डल परवाणू के विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए जल प्रभार की भुगतान दरें निर्धारित की गई थी। इस सन्दर्भ में विभिन्न उपभोक्ताओं के खातों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न उपभोक्ताओं से जल प्रभार की कम दर से वसूली की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप निर्माण मण्डल को ₹3990 की हानि हुई। अतः कम दर से जल प्रभार की वसूली किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही वर्तमान में इन सभी उपभोक्ताओं से सही दरों से जल प्रभार की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य सभी मामलों की पड़ताल निर्माण मण्डल स्तर पर की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाए।

Detail of Less Receipt of Water Tax

Name & Address	Bill No. & Date of Issue	No. of Unit per Thousand	Rate per Thousand	Rate due w.e.f. 1-8-14	Difference of Rate per Thousand	Total Amount of Water tax Less Realised
Smt. Bela Devi 3C-22 Parwanoo	4386 & 7-8-14	40	52.80	76.00	23.20	928.00
M/s Upper India Food 1C-19 Parwanoo	6936 & 13-8-14	10	52.80	76.00	23.20	232.00
M/s Bio Medi 1-C-23 Parwanoo	6942 & 13.8.14	15	52.80	76.00	23.20	348.00
M/s Parwanoo Steel IC-33-C	6953 & 12.8.14	38	52.80	76.00	23.20	881.60
M/s Amar Floor	6957 &	30	52.80	76.00	23.20	696.00

IC-36 Parwanoo	12.8.14					
M/s Himachal Conductor IC-42 Parwanoo	6962 & 11.8.14	18	52.80	76.00	23.20	417.00
M/s Pileh Mech IC-43 Parwanoo	6963 & 11.8.14	21	52.80	76.00	23.20	487.20
					Total	**3990.40**

(ग) उप मण्डल बद्दी के घरेलु उपयोक्ताओं को जल प्रभार के बिलों को कम दरों पर जारी किए जाने बारे

उपमण्डल बद्दी में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए जल प्रभार की दर 30000 लीटर तक ₹10 प्रति हजार लीटर तथा 30000 से अधिक के लिए ₹20 प्रति हजार लीटर निर्धारित की गई थी। उप मण्डल बद्दी के जल प्रभार से सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में घरेलू उपभोक्ताओं को निर्धारित दर से कम दर पर बिल जारी किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप निर्माण मण्डल को ₹1140 की हानि हुई। अतः उप–मण्डल बद्दी के घरेलू उपभोक्ताओं को कम दर से बिल जारी करने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा इस वित्तीय हानि की पूर्ति वर्तमान में संशोधित दर से बिल जारी करके की जाए।

Sr. No	Name	Account No.	Period	Consumption of Water (in thousand)	Rate as per Ledger	Rate as per Audit	Diff.
1.	Smt Gourmet Kour	3D-352	8/8/14 to 16/10/14	333	70@10= 700 263@20=5260 5960	60@10= 600 273@20=5460 6060	100/-
2.	Sh. Dharminder Kour	3D-362	8/8/14 to 16/10/14	131	70@10 = 700 61@20 = 1220 1920	60@ = 600 71@20 = 1420 2020	100/-
3.	Smt. Renu Dogra	3D-420	16/8/14 to 16/10/14	257	70@10 = 700 187@20= 3740 4440	60@10= 600 197@20=3940 4540	100/-
4.	Sh. Gulab Rai	3D-439	16/8/14 to 16/10/14	138	73@10= 730 65@20 = 1300 2030	60@10= 600 78@20 = 1560 2160	130/-
5.	Sh. Bhagat Ram	3D-441	3/6/14 to 16/8/14	87	75@10= 700 12@20 = 240 990	60@10 = 600 27@20 = 540 1140	150/-
6.	Sh. Hemant Rajput	3D-446	16/8/14 to 16/10/14	122	73@10 = 730 49@20 = 980 1710	60@10 = 600 62@20 = 1240 1900	190/-
7.	Smt. Asga Dood	D-39	5/9/14 to 14/11/14	220	73@10 = 700 150@20 =3000 3700	60@10 = 600 48@20 = 3200 3800	100/-
8.	Smt. Shashi Bansal	D-40	5/9/14 to 14/11/14	108	70@10= 700 38@20 = 760 1460	60@10 = 600 48@20 = 960 1560	100/-

9.	Sh. Suhash Thakur	D-84	8/9/14 to 15/11/14	105	67@10 = 670 38@20 = 760 1430	60@10 = 600 45@20 = 900 1500	70/-
10.	Sh. Sanjay Kumar	D-88	8/9/14 to 15/11/14	333	70@= 700 260@20= 5260 5960	60@10 = 600 273@ = 5460 6060	100/-
						Total	**1140**

(घ) उप–मण्डल बद्दी के Commercial उपभोक्ताओं के जल प्रभार की गलत गणना किए जाने के कारण जल प्रभार की कम राशि की वसूली करने बारे

उप–मण्डल बद्दी में Commercial उपभोक्ताओं के लिए जल प्रभार की दर ₹20 प्रति एक हजार यूनिट निर्धारित की गई थी। जल प्रभार से सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न Commercial उपभोक्ता के मामले में जल प्रभार की खपत की गलत की गणना किए जाने के कारण ₹4000 की जल प्रभार की कम वसूली की गई, जिसके परिणामस्वरूप निर्माण मण्डल को हानि हुई। अतः इस वित्तीय हानि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अतिशीघ्र सूचित किया जाए।

Name	Account No.	O.B	Consumption shown in Demand & Collection Register	Closing Balance	Actual Consumption as per Opening & Closing Balance	Less Consumption shown	Rate	Amount of Water Tax less Realised
AG Const-ruction	3(D)507	1860	500	2560	700	200	20	4000

7 निर्माण मण्डल के लेखा में Cash Settlement Suspense Account (CSSA) एवं Imprest A/C under Cash Settlement Suspense Account लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत क्रमशः ₹15,52,115.48 (Cr) और ₹30,21,762.05 (Cr) का अन्य निर्माण मण्डलों के साथ निपटारे हेतु शेष पाया जाना

निर्माण मण्डल के Cash Settlement Suspense Amount और की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2015 को इस लेखा शीर्षक के डेबिट में ₹5,45,961.77 और क्रैडिट में ₹20,98,077.25 अर्थात कुल Net CR में ₹15,52,115.48 शेष थी। इसी प्रकार imperest accout under SSA में दिनांक 31.3.2015 को क्रैडिट में ₹30,21,762.05 शेष थी। यह राशियाँ हिमुडा के अन्य निर्माण मण्डलों तथा मुख्यालय के साथ समायोजन हेतु दिनांक 31.3.2015 तक शेष थी। जांच में यह भी पाया गया कि कई निर्माण मण्डलों से सम्बन्धित यह राशियां वर्ष 2013–14 से समायोजन के लिए लम्बित थी। इस बारे में वर्ष बार विवरण निम्न दिया गया है। हिमुडा निर्माण मण्डल Parwanoo द्वारा इन लेखा शीर्षकों के डेबिट तथा क्रैडिट मे विद्यमान राशियों का दिनांक 31.3.2015 तक समायोजन न करना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है। अतः यह मामला आवश्यक कार्यवाही हेतु हिमुडा

के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता, ताकि Cash Settlement Suspense Account (CSSA) & Impress A/C under Cash Settlement Suspense Account लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत दर्शाई गई राशियों का समायोजन शीघ्र नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित हो सके। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को अवगत किया जाए।

(A) Cash Settlement Suspense A/C

निर्माण मण्डल का नाम	Ledger P.No.	Debit Balance 2013-14	Debit Balance 2014-15	Credit Balance 2013-14	Credit Balance 2014-15
CSS A/c Xen. Himuda, Division No. 1 Shimla	445	4,04,441.75	4,04,441.75		
CSS A/c Xen. Himuda, Division No.-II Shimla	447	1,03,542.75			1,37,793.25
CSS A/C Xen. Himuda Division Dharamshala	449	68,661.36	68,661.36		
CSS A/c Xen. Himuda Division Shimla	453	72,858.66	72,858.66		
CSS A/c Xen. Himuda Division Hamirpur/Dharamshala	455			1,44,729	1,68,654
CSS A/c Xen. Himuda(Elect) Division Shimla-09	459			16,40,600	17,91,630
Total		**6,49,504.52**	**5,45,961.77**	**17,85,329**	**20,98,077.25**
(B) Imprest A/C H.O. under CSSA Account					
HO	457			**30,21,762.05**	**30,21,762.05**
Total				**30,21,762.05**	**30,21,762.05**

8 जल आपूर्ति योजना के संचालन पर आय की तुलना में ₹81.70 लाख का अधिक व्यय करना

निर्माण मण्डल परवाणू द्वारा विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं की आय और व्यय की तुलनात्मक समीक्षा करने पर पाया गया कि इन योजनाओं के संचालन पर आय से अधिक व्यय किया गया था, जिसे किसी भी स्थिति में तर्क संगत नहीं ठहराया जा सकता। इस प्रकार हिमुडा जैसी Commercial Organization में इन योजनाओं को सही ढंग से संचालित न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः यह मामला उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि इन जल योजनाओं का संचालन उचित प्रकार से किया जाए ताकि संस्था को भविष्य में और अधिक हानि का सामना न करना पड़े।

Sr. No.	Name of Water Supply Scheme	Income Received during the Year 2014-15	Expenditure during the year 2014-15	Excess Expenditure
1.	Water Supply Scheme Parwanoo	2,57,91,236	3,25,91,473	(-) 68,00,237
2.	Water Supply Scheme Subhkhera	79,412	1,93,813	(-)1,14,401
3.	Water Supply Scheme Paonta Sahib	2,08,534	7,31,300	(-) 5,22,766
4.	Water Supply Scheme Mandhala	377	61,517	(-)61,140
5.	Water Supply Scheme Kalujhanda	2,59,008	8,79,396	(-)6,20,388
6.	Water Supply Scheme Moginand	1,610	54,005	(-) 52,395
			Total Loss	(-) **81,71,327**

9 उप–मण्डल में प्राप्त रोकड़ को विलम्ब से मण्डल खाते में जमा करवाया जाना

उपमण्डल Paonta Sahib के जल प्रभार और रख–रखाव से सम्बन्धित अभिलेखों से पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार प्राप्त आय को निर्माण मण्डल में विलम्ब से जमा करवाया गया था, जो कि वित्तीय नियमों के विरूद्ध होने के साथ–साथ प्राप्ति राशि का अस्थाई दुर्विनियोजन भी है। अतः आय को देरी से जमा करवाए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही भविष्य में उप मण्डल स्तर पर एकत्रित आय को शीघ्र अति शीघ्र मण्डल खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

Detal of Late Deposit of Income Collected at Sub-Division

Name of Income	Receipt No. at Sub. Division Level	Amount of Receipt at Division Level	Date/Period for which income has been collected	Date of Deposit of Receipt at Division Level
Water Chareges in R/o Housing Colony Paonta Sahib	2187 to 2296	32332	19.8.14 to 20.8.14	5.9.14
	2299 to 2406	41245		3-11-14
	2408 to 2518	37217		2-1-15
Maintenance Chareges in R/o Housing Colony Paonta Sahib	119022 to 119025	9234	7.8.14 to 14.8.14	5.9.14
	372 to 385	23095	10.4.14 to 28.4.14	12.5.14
Maintenance Charegs in R/O	2985	5886	1.10.2014	30.10.14

Housing Colony Paonta Sahib	2980 to 2984	13013	4.9.14 to 27.9.14	30.9.14
	2987	11710	17.11.14 to 28.11.14	2.12.14
	2992 to 2996	16535	1.12.14 to 26.12.14	3.1.15

10	**निर्माण कार्य का नाम**	**C/o 192 Nos. housing for Urban Poor integrated Housing & Slum Development Programme in Sec-4, Parwanoo**
	संविदकार का नाम	**M/S Kapil Construction Co.**
	अनुबन्ध संख्या	**5 of 2010-11**
	चलित बिल	**20th Running Bill**
	Abstract of Cost MB	**Page No. 1 से 33 of MB 2234**

वाऊचर संख्याः 125, दिनांक 26.8.14, ₹9,24,847

उपरोक्त निर्माण कार्य के 20 वें चलित बिल की जांच सम्बन्धित अभिलेख से करने के उपरान्त पाया गया कि संविदाकार को निम्नविवरणानुसार ₹1,88,842 के अनुचित लाभ/अधिक भुगतान किए गए हैं जिनकी मण्डल स्तर पर पुनः जांच करके अपेक्षित राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

(क) Substituted Item "P/F water meter Chamber with Half Brick Masonary with cover of M/S Steel of Size 600mm x 450mm x 600mm" का अधिक दर से भुगतान किए जाने के कारण संविदाकार को ₹58,313 का अधिक भुगतान करना

उपरोक्त निर्माण कार्य के 20वें चलित बिल तक Substituted Item "P/F water meter Chamber with Half Brick Masonary with Cover of M/S Steel of size 600mm x 450mm x 600mm" की मद हेतु संविदाकार को MB No. 2234 पृष्ठ संख्या 30 पर ₹1800 प्रति नम्बर (PR) ₹3690 प्रति नम्बर (FR) के दर से कुल ₹2,01,600 (112 संख्या x 1800 = ₹201600) का भुगतान किया गया था। अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि पत्र संख्या Himuda DB(HIS)DP/4/PWN-Vol-III-1513, dt. 29.7.2015 द्वारा इस अतिरिक्त मद का रेट ₹1279.35 प्रति की दर से निर्धारित किया गया था। इस प्रकार संविदाकार को इस अतिरिक्त मद के लिए 20 वें चलित बिल तक ₹58,312.80 or say ₹58,313 का अधिक किया गया, जिसका पूर्ण विवरण निम्नानुसार दिया गया है। अतः संविदाकार को इस प्रतिस्थापित मद हेतु किए गए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए तथा अधिक भुगतान की गई राशि वसूली करने के अतिरिक्त भविष्य में अतिरिक्त/प्रतिस्थापित कार्य मदों की भुगतान दरों का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अतिरिक्त मद "P/F water meter Chamber with Half Brick Masonary with cover of M/S steel of Size 600mm x 450mm x 600mm" के लिए किया गया भुगतान	112 x 1800 = 201600
अतिरिक्त मद के लिए पत्र संख्या HIMUDA DB(HIS)DP/4/PWN-Vol-III-1513, dt. 29.7.2015 के द्वारा निर्धारित की गई दर	1279.35 प्रति
संविदाकार को देय कुल भुगतान (112 x 1279.35)	143287.20
संविदाकार को किया गया अधिक भुगतान (201600 – 143287.20)	58312.80

(ख) Extra Item "P/F 1:3:6 for Hold Fast in 30x10x15 cm 20mm Nominal Size for Legs & Tails" की दर का अधिक भुगतान किए जाने के कारण संविदाकार को ₹96,012 का अधिक भुगतान करना

उपरोक्त निर्माण कार्य के 20वें चलित बिल तक Extra Item "P/F 1:3:6 for hold fast in 30x10x15 cm 20mm Nominal Size for Legs & Tails" मद हेतु संविदाकार को MB No. 2234 पृष्ठ संख्याः 19 पर ₹48.75 प्रति नम्बर (पी0आर) तथा ₹65.00 प्रति नम्बर (एफ0आर) की दर से कुल ₹1,85,737 (3810 No. x 48.75 = 185737) का भुगतान किया गया था। अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि पत्र संख्याः HIMUDA DB(HIS)DP/4/PWN-Vol-III-1513, dated 29-7-2015 द्वारा इस अतिरिक्त मद का रेट ₹23.55 प्रति की दर से निर्धारित किया गया था। इस प्रकार संविदाकार को इस अतिरिक्त मद के लिए 20वें चलित बिल तक ₹96012 का अनुचित लाभ प्रदान किया गया, जिसका पूर्ण विवरण निम्नानुसार दिया गया है। अतः संविदाकार को इस अतिरिक्त मद हेतु किए गए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए तथा अधिक भुगतान की गई इस राशि की वसूली करने के अतिरिक्त भविष्य में अतिरिक्त कार्य मदों की भुगतान दरों का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अतिरिक्त मद "P/F 1:3:6 for Hold Fast in 30x10x15cm 20mm Nominal Size for Lags & Tails" के लिए किया गया भुगतान	3810x48.75=185737
अतिरिक्त मद के लिए पत्र संख्या HIMUDA DB(HIS)DP/4/ PWN-Vol-III-1513, dated 29/7/2015 के द्वारा निर्धारित की गई दर	23.55 प्रति
संविदाकार को देय कुल भुगतान (3810 x 23.55)	89725.50
संविदाकार को किया गया अधिक भुगतान (185737 – 89725)	96012

(ग) Extra Item "Excavation in filling in 15cm layer in foundation & Plinth i.e. Rammy & Watering upto a lead & lift" की दर का अधिक भुगतान किए जाने के कारण संविदाकार को ₹34517 का अधिक भुगतान करना

उपरोक्त निर्माण कार्य के 20वें चलित बिल तक Extra Item "Excavation in Filling in 15cm layer in foundation & Plinth i.e. Ramming, watering & consolidation upto a lead of 20mtr and lift up to 1.50" मद हेतु संविदाकार को MB No. 2234 Page No. 20 पर ₹141.80

प्रति घन मीटर (पी0आर) तथा ₹189.07 प्रति घन मीटर (एफ0आर) के दर से कुल ₹121453.11 ($856.51m^3$ x 141.80 = 121453.11) का भुगतान किया गया था। अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि पत्र संख्या HIMUDA DB(HIS)DP/4/PWN-Vol-III-1513, dated 29/7/2015 द्वारा इस अतिरिक्त मद का रेट ₹101.50 प्रति घन मीटर की दर से निर्धारित किया गया था। इस प्रकार संविदाकार को इस अतिरिक्त मद के लिए 20वें चलित बिल तक ₹34517 का अधिक भुगतान किया गया, जिसका पूर्ण विवरण निम्नानुसार दिया गया है। अतः संविदाकार को इस अतिरिक्त मद हेतु किए गए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए तथा अधिक भुगतान की गई राशि के अतिरिक्त भविष्य में अतिरिक्त कार्य की भुगतान दरों का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अतिरिक्त मद "Excavation in filling in 15cm layer in foundation & Plinth i.c Rammy & watering upto a lead & lift" के लिए किया गया भुगतान	$856.51 m^3$ x 141.80 =121453.11
अतिरिक्त मद के लिए पत्र संख्या HIMUDA DB(HIS)DP/4/PWN-Vol-III-1513, dated 29/7/2015 के द्वारा निर्धारित की गई दर	101.50 प्रति घन मीटर
संविदाकार को देय कुल भुगतान ($856.51m^3$ x 101.50 प्रतिघन मी0)	86935.77
संविदाकार को किया गया अधिक भुगतान (121453.11 – 86935.77)	34517.34

11	**निर्माण कार्य का नाम**	**Improvement of EWS Flats, Plots House Sector-I Parwanoo**
	संविदाकार का नाम	**Sh. Guman Singh**
	अनुबन्ध संख्या	**28 of 2013-14**
	Abstract of Cost MB	**2237 P.No. 60 to 76**

वाऊचर संख्या 130, दिनांक 28.8.2014, ₹10,10,418

अंकेक्षण में जांच करने पर पाया गया उक्त कार्य के 7^{th} चलित बिल तक अनुबन्ध की मद संख्याः 14 "Steel Work welded in build up section" का 3628.09 कि0ग्रा0 के लिए दर ₹100 प्रति किलोग्राम की दर से कुल ₹362809 का भुगतान किया गया था। निष्पादित कार्य मात्रा की जांच करने पर पाया गया कि 50x50x5 Angle and 65x65x6 हेतु स्टील का गलत Conversion Factor लेने के कारण संविदाकार को ₹10780 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अतः इस अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा इस अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Item No.	Name of Item	No of Running Bill	Recording MB No. & Page	Conversion Factor Taken & Qty paid to Contractor	Coversion Factor Should be & Qty should be Paid to Contractor	Excess Qty paid
14	Steel work welded in build up section 50x50x5 Angle	5th	2192, P.No. 52	5.52 run x 4.00 kg x 30= 662.40 kg (For 30 pannel)	5.52run x 3.80kg x 30 = 629.28 kg (For 30 pannel)	33.12 kg
		6th	2192 P.No. 77	6.72 Rmt x 4.00 kg x 10=268.80kg (For 10 pannel)	6.72Rmt x 3.80 kg x 10=255.36kg (For 10 pannel)	13.44 kg
		7th	2237 P.No.2	6.84Rmtx4.00kgx18= 492.48kg (For 18 pannel)	6.84Rmtx3.80kgx18= 467.85 kg (For 18 pannel)	24.63 kg
	65x65x6 Angle	7th	2237 P.No.3	22.32 Rmt x 7.44 kg = 166.06 kg	22.32 Rmt x 5.80 kg = 129.45 Kg	36.61 kg
					Total Excess Qty paid to Contractor	**107.80kg**
					Total Excess payment to Contractor (107.80kg x 100 per kg)	**10780**

12 **निर्माण कार्य का नाम** **Intergrated Residential Town Ship at Madhala**

संविदाकार का नाम **M/S All Grace Pvt. Ltd.**

अनुबन्ध संख्या **10 of 2013-14**

चलित बिल **1st to 5th Running Bill**

Abstract of Cost MB **Page No. 1 to 100 of MB No. 2204**

वाऊचर संख्याः 61, दिनांक 12.11.2014 ₹28,90,653

उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु दिनांक 31.3.2015 तक भुगतान किए गए सभी चलित बिलों की अंकेक्षण में विस्तृत जांच की गई। इस पड़ताल में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

(क) Item No. 8 i.e. P/L CC 1:2:4 in foundation & Plinth की तुलना में item no. 9(a) i.e. Form Work in foundation & plinth के सन्दर्भ में संविदाकार को ₹4,258 का अधिक भुगतान करना

इस निर्माण कार्य के सन्दर्भ में Plot No. C-253 to 259 के लिए अनुबन्ध की मद संख्याः 8 i.e. P/L CC 1:2:4 in foundation & Plinth, और मद संख्याः 9(a) i.e. Form Work in foundation & plinth का आपस मे मिलान करने पर पाया गया कि **Record MB No.** 2203P. No. 35 to 36 और **Abstract of Cost MB No.** 2204 P.No. 6, पर CC 1:2:4 की तुलना में Form Work के लिए संविदाकार को ₹4258 का अधिक भुगतान किया गया था। इस अधिक भुगतान का पूर्ण विवरण निम्न

दिया गया है। अतः इस अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस अधिक भुगतान की वसूली संविदाकार से सुनिश्चित की जाए।

Item No. 9(a) i.e. Form Work in foundation & Plinth	**Item No. 8 i.e. P/L CC 1:2:4 in foundation & plinth**	**Excess Qty of Item No. 9(a) i.e. Form Work in foundation & plint paid to contractor.**
2x6.90x0.60=8.28 m^2	1x6.90x0.25x0.60=1.04m^3	2x6.20x0.30=3.72 m^2
2x 3.10x0.30=1.86 m^2	1x3.10x0.25x0.30=0.23m^3	2x13.80x0.60=16.56 m^2
2x13.80x0.60=16.56 m^2	1x13.80x0.25x0.60=2.07m^3	20.28 m^2
2x6.20x0.30=3.72m^2	1x6.20x0.25x0.30=0.46 m^3	
2x13.80x0.60=16.56 m^2	1x13.80x0.25x0.60=2.07m^3	
2x6.20x0.30=3.72 m^2	1x3.10x0.25x0.30=0.25m^3	
2x13.80x0.60=16.56 m^2		
2x3.10x0.30=1.86 m^2		

(ख) Item No. 7 i.e. P/L CC 1:4:8 in foundation & Plinth की तुलना में Item No. 3 i.e. Excavation in drains & Channel के सन्दर्भ में संविदाकार को ₹1049 का अधिक भुगतान करना

इस निर्माण कार्य में Pocket 'B" Plot No. C-246, C-229 के लिए अनुबन्ध की मद संख्याः 7 i.e. P/L CC 1:4:8 in foundation & plinth और अनुबन्ध की मद संख्याः 3 i.e. Excavation in drains & Channel की आपस में जांच करने पर पाया गया कि CC 1:4:8 की तुलना में मद संख्याः 3 i.e. Excavation in drains & channel का अधिक भुगतान किया गया था, क्योंकि Excavation वाली जगह में ही CC 1:4:8 डाली गई थी। इस प्रकार अनुबन्ध की मद संख्याः 3 i.e. Excavation in drains & channel के लिए संविदाकार को ₹1049 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण निम्न दिया गया है। अतः इस अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस अधिक भुगतान की वसूली संविदकार से सुनिश्चित की जाए।

Abstract of Cost MB No.	**Record MB No.**	**Item No. 3 i.e. Excavation in drains & channel**	**Item No. 7 i.e. P/L CC 1:4:8 in foundation & plinth**	**Excess Qty of Item No. 9(a) i.e. Excavation in drains & Channel paid to contractor.**
2204 P.No. 12	2203 P. No. 39 to 41 for Pocket 'B" Plot No. C-246 to 229	3x30x1.05x0.55= 51.97 m^3 1x7.90x1.05x0.55 = 4.56 m^3	3x30x1.05x0.55=51.97 m^3	1x7.90x1.05x0.55= 4.56 m^3
Total Excess Payment to Contractor				**4.56 m^3 x 230 per sqr = 1048.80**

(ग) Item No. 3 i.e. Excavation in drains & Channel की तुलना में item No. 7 i.e. P/L CC 1:4:8 in foundation & Plinth के सन्दर्भ में संविदकार को ₹5214 का अधिक भुगतान करना

इस निर्माण कार्य में Pocket 'B" Plot No. C-246, C-229 के लिए अनुबन्ध की मद संख्याः 3 i.e. Excavation in drains & Channel, और मद संख्याः 7 i.e. P/L CC 1:4:8 in foundation & Plinth की आपस में तुलना करने पर पाया गया कि Excavation in Drains & Channel की तुलना में मद संख्याः 7 i.e. P/L CC 1:4:8 in foundation & Plinth का अधिक भुगतान किया गया था, क्योकि खुदाई (Excavation) के बाद ही CC 1:4:8 डाली गई थी, साथ ही बिना खुदाई के CC 1:4:8 नहीं डाली जाती। इस प्रकार मद संख्याः 7 के लिए संविदाकार को ₹5214 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण निम्न दिया गया है। अतः इस अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस अधिक भुगतान की वसूली सुविदाकार से सुनिश्चित की जाए।

Abstract of Cost MB No.	Record MB No.	Item No. 7 i.e. P/L C.C 1:4:8 in foundation & Plinth	Item No. 3 i.e. Excavation in drain & Channel	Excess Qty of Item No. 9(a) i.e. Excavation in drains & Channel paid to contractor.
2204 P.No. 12	2203 P.No. 39 to 41 for Pocket 'B" Plot No. C-246 to 229	7x30x1.05x0.15=33.08 m^3	1x20x1.05x1.10= 23.10m^3 1x20x1.05x1.10= 23.10m^3 1x20x1.05x1.10= 23.10m^3 1x20x1.05x1.10= 23.10m^3 1x20x1.05x0.35= 17.85m^3 1x20x1.05x0.60= 12.60m^3 1x20x1.05x0.60= 12.60m^3 1x20x1.05x0.60= 12.60m^3 1x20x1.05x0.60= 12.60m^3 1x20x1.05x0.60= 12.60m^3	1x10x1.05x0.15= 1.58 m^3
Total Excess Payment to Contractor				**1.58 m^3 x 3300 per m^3 = 5214**

13	निर्माण कार्य का नाम संविदाकार का नाम	**C/o 24 No. Cat-II Flat at Baddi** **M/S A.G. Construction**
	अनुबन्ध संख्या	**14 of 2011-12**
	चलित बिल	**7th Running Bill**
	Abstract of Cost MB	**Page No. 1 to 22 of MB No. 2221**
	Date of Allotment	**28-7-2011**
	Due Date of Completion	**29-1-2013**

वाऊचर संख्याः 20, दिनांक 1.8.2014, ₹6,99,037

उपरोक्त निर्माण कार्य के चलित बिल की अंकेक्षण में विस्तृत जांच की गई। इस पड़ताल में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

(क) अनुबन्ध की मद संख्याः 13(b) i.e. "P/L M-20 in suspended Floor" के सन्दर्भ में awarded rate से अधिक दर से भुगतान किए जाने के कारण संविदाकार को ₹3373 का अधिक भुगतान करना

अनुबन्ध की मद संख्याः 13(b) i.e. "P/L M-20 in suspended Floor" की अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि 7 वें चलित बिल तक संविदाकार को उक्त मद की 674.64 cum मात्रा के लिए दर ₹3325 प्रति घन मीटर की दर से कुल ₹22,43,111.50 का भुगतान किया गया था। इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेखों की पडताल करने पर पाया गया कि Award Letter द्वारा उपरोक्त अनुबन्ध मद संख्याः 13(b) का रेट ₹3320 प्रति घन मीटर निर्धारित किया गया था, जबकि MB No. 2221 P.No. 8 पर इस मद के लिए संविदकार को ₹3325 प्रति घन मीटर की दर से ₹22,43,111.50 का भुगतान किया गया था। इस प्रकार संविदाकार को ₹3373 का अनियमित भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अतः इस अनियमित भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा इस अनियमित भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए

7 वां चलित बिल तक अनुबन्ध की मद संख्या 13(b) की निष्पादित मात्रा	674.62 घन मीटर
दर जिसके अनुसार संविदाकार को भुगतान किया गया	3325 प्रति घन मीटर
कुल भुगतान 674.62 घन मीटर x ₹3325 प्रति घन मीटर	22,43,111.50
भुगतान जो किया जाना चाहिए था 674.62 घन मीटर x 3320 प्रति घन मीटर	22,39,738.40
अधिक भुगतान	**3373.10**

(ख) निर्माण हेतु प्रयोग में लाई गई लकड़ी की खरीद से सम्बन्धित मे बिल एवं अन्य प्रमाण इत्यादि प्रस्तुत न करना

अनुबन्ध की General Specification & Conditions की संख्या 13 पर वर्णित शर्त के अनुसार “The contractor shall have to purchase the timber to be used on works from an authorized dealer/agency and he would produce necessary receipts/vouchers as a proof before releasing the payment of the wood work” । उपरोक्त निर्माण कार्य के लिए अनुबन्ध की मद संख्याः 29 “Prividing wood work in frames of doors, windows etc.” हेतु 7वें चलित बिल तक कुल 11.628 घन मीटर का ₹68,000 प्रति घन मीटर की दर से ₹14,90,900 का भुगतान संविदाकार को किया गया था (MB No. 2221 P.No. 14 & 15)। इस मद के निष्पादन में प्रयोग में लाई गई लकड़ी की खरीद से सम्बन्धित में कोई बिल इत्यादि संविदाकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अनुबन्ध की उपरोक्त वर्णित शर्त के अनुसार निर्माण कार्य के लिए प्रयोग में लाई गई लकड़ी की खरीद से सम्बन्धित बिल इत्यादि प्रस्तुत न किए जाने पर भी संविदाकार को भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा साथ ही भविष्य में अनुबन्ध की उपरोक्त वर्णित शर्त के अनुसार लकड़ी के कार्य हेतु भुगतान करने से पूर्व लकड़ी की खरीद से सम्बन्धित बिल/अभिलेख संविदाकार से लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) संविदाकार द्वारा निर्माण कार्य को देरी से निष्पादित करने पर अनुबन्ध की क्लॉज–2 के अन्तर्गत कार्रवाही न करने बारे

उपरोक्त निर्माण कार्य का आबंटन M/S AG Constructions को पत्र संख्या PD/HIMUDA/CB/A-15/3784-92, dated 14-7-2011 with the Commencement Dated 28-7-2011 and date of completion 27-1-2013 for an amount 2,92,76,797 से किया गया था। इस निर्माण कार्य को पूर्ण करने की अवधि 18 माह थी। संविदाकार द्वारा यह कार्य समय पर निष्पादित न करने के कारण Superintending Engineer(S), HIMUDA, Kasumpati, Shimla-9 द्वारा संविदाकार पर दिनांक 13.2.2013 को अनुबन्ध की क्लॉज 2 के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए पत्र संख्याः HIMUDA/15-259/2000-Tech.Vol-IV-306-09, dt. 15-2-2013 द्वारा अधिशाषी अभियन्ता को निर्देश दिए गए थे कि यदि संविदाकार 3 महीने तक निर्माण कार्य में तेजी नहीं लाता, तो उस पर अनुबन्ध की क्लॉज–2 के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके उपरान्त अधिशाषी अभियन्ता निर्माण मण्डल परवाणू द्वारा संविदाकार के साथ किए गए अनुबन्ध को दिनांक 31.12.2014 तक बढ़ौतरी प्रदान की गई। इस सन्दर्भ में उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल में पाया गया कि वर्तमान समय तक संविदाकार द्वारा केवल 52 प्रतिशत निर्माण कार्य ही पूर्ण किया गया था, परन्तु अधिशाषी अभियन्ता निर्माण मण्डल परवाणू द्वारा संविदाकार के साथ किए गए अनुबन्ध को दिनांक 31.12.2014 के बाद बढ़ौतरी प्रदान नहीं की गई थी और न ही अनुबन्ध की उक्त क्लॉज़ के अनुसार

कार्रवाई की गई। इस प्रकार अनुबन्ध की शर्तों और Superintending Engineer(S), HIMUDA, Kasumpti, Shimla-09 द्वारा पत्र संख्याः HIMUDA/15-259/2000-Tech. Vol-IV-306-09, dated 15-2-2013 से संविदाकार पर क्लॉज–2 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देशों की भी अवहेलना की गई। अतः संविदाकार पर देरी से निर्माण कार्य को पूर्ण करने पर अनुबन्ध की क्लॉज–2 के अन्तर्गत कार्यवाही न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

14

निर्माण कार्य का नाम	**Development of Housing Colony at Shubkhera**
संविदाकार का नाम	**Sh. Tapinder Singh**
अनुबन्ध संख्या	**12 of 2011-12**
चलित बिल	**5th Running Bill**
Abstract of Cost MB	**Page No. 60 से 76 of MB No. 2073**
Date of Allotment	**29-9-2011**
Due Date of Completion	**15-3-2013**

वाऊचर संख्याः 135, दिनांक 28.8.2014, ₹5,85,854

उपरोक्त निर्माण कार्य के 5वें एवं अन्तिम चलित बिल की अंकेक्षण में विस्तृत जांच की गई। इस पड़ताल में निम्न आपत्तियाँ पाई गई।

(क) अनुबन्ध की मद संख्या 19 i.e. C/o Chamber 600 x 600 x750 in cement masonary और मद संख्याः 21 i.e. C/o Chamber 600 x 600 x 750 for Fire hydrant हेतु सीमेन्ट की खपत तय मानकों से अधिक दर्शाये जाने के कारण संविदाकार से Penal Rate की ₹2436 की वसूली न करने बारे

अनुबन्ध की मद संख्याः 19 i.e. C/o Chamber 600 x 600 x 750 in cement masonary और मद संख्याः 21 i.e. C/o Chamber 600 x 600 x 750 for Five hydrant हेतु सीमेन्ट की खपत की जांच करने पर पाया गया कि इन दोनों मदों हेतु सीमेन्ट की खपत तय मानकों से अधिक दर्शाई गई थी। अनुबन्ध की शर्त संख्याः 42(ii) के अनुसार सीमेन्ट की अधिक खपत दर्शाये जाने के लिए Penal Rate से वसूली की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार Penal Rate से वसूली न किए जाने के कारण संविदाकार को ₹2436 का अधिक भुगतान किया गया है। अतः सीमेन्ट की अधिक खपत किए जाने पर भी सीमेन्ट की Penal Rate से वसूली न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा ₹2436 की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किए जाना भी सुनिश्चित किए जाए।

Item No.	Name of Item	MB No./ Page No.	Quantity paid to the Contractor	Consumption of Cement as per MB	Consumption of Cement as per Audit	Excess Consumption
19	C/o Chamber 600 x 600 x 750 in Brick Masonary	2073/70	17 No.	17 x 2.60 = 44.20 Bags	17 x 2.375 = 40.375 Bags	3.91 Bags

21	C/o Chamber 600 x 600 x 750 Fire Hydrent	2073/70	8 No.	8 x 2.60 = 20.80 Bags	8 x 2.375 = 19 Bags	1.84 Bags
					Total	**5.75 Bags or Say 6 Bags**
Recovery Rate of Cement @ 203.00 per Bag, Penal Rate of Recovery 406 (203x2)						**₹2436 (6 Bags x 406)**

(ख) निर्माण कार्य हेतु 86 बैग सीमेन्ट की खपत गलत दर्शा कर संविदाकार को ₹34916 का अनुचित लाभ देने बारे

उपरोक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित पांचवें एवं अन्तिम चलित बिल की अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि Record MB 4876 P.No. 57 से 60 के अनुसार दिनांक 29.12.2012 के बाद निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सीमेन्ट कंक्रीट के कार्य की रिकॉर्ड प्रविष्ट नहीं की गई थी। साथ ही इस निर्माण कार्य से सम्बन्धित सीमेन्ट की खपत की विवरणीका की जांच करने पर पाया गया कि 86 सीमेन्ट बैग की खपत गलत दर्शा कर संविदाकार से अनुबन्ध की क्लॉज 42(ii) के प्रावधानों के अनुसार Penal Rate वसूली से नहीं की गई। इस प्रकार 86 बैग सीमेन्ट की खपत गलत दर्शा कर संविदाकार को ₹34916 का अनुचित लाभ दिया गया, जिसका विवरण निम्न दिया गया है। अतः सीमेन्ट की खपत की गलत गणना करने एवं सीमेन्ट की अधिक खपत दर्शाने हेतु अनुबन्ध की क्लॉज 42(ii) के अनुसार पैनल रेट से वसूली न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए।

As cement issue statement cement issued vide indent No. 1587 Dt. 29-12-2012	300 Bags
Less: Transferred to other work	80 Bags
Less: Return to Store	134 Bags
Balance show consumed after 29-12-2012	86 Bags
Penal Rate as per Agreement Clause 42(ii) (203x2)	406.00
Total Amount (86 Bags x 406)	34916.00

15 वीप होल्स की कार्य मद का अलग भुगतान करने से आर0आर0 मैसनरी की मात्रा के लिए संविदाकार को ₹0.29 लाख का अधिक भुगतान करना

मान्य निर्माण मापदण्डों के अनुसार आर0आर0 मैसनरी के भुगतान के समय आर0आर0 मैसनरी की देय मात्रा में से वीप होल्स हेतु प्रयोग 100mm पी0वी0सी0 पाईप के आयतन के बराबर की कार्य मात्रा की कटौती की जानी अपेक्षित थी, क्योंकि वीप होल्स की लगाने के स्थान पर आर0आर0 मैसनरी की मात्रा प्रयोग नहीं की जाती। निम्न निर्माण कार्यों के सम्बन्ध विभिन्न चलित बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि आर0आर0 मैसनरी की देय कार्य मात्रा में से 100mm पी0बी0सी0 पाईप के आयतन के बराबर की कार्य मात्रा कटौती नहीं की गई थी। इस प्रकार

संविदाकारों को ₹29382 की आर0आर0 मैसनरी का अधिक भुगतान किया गया था। अतः इस अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस अधिक भुगतान की वसूली संविदाकार से सुनिश्चित की जाए।

Name of Work	Running Bill No.	MB No. /P.No.	Qty of Weep Hole Paid	Qty. of Weephole in cubic metre that should be deducted from the Qty. of RR Masonary	Rate of RR Masonary Paid to Contractor per cubic metre	Total Excess payment paid to Contractor
C/o 192 Nos. houses for Urban Poor Integrated Housing & Slum Development Programme in Sec-4, Parwanoo	20th	2234/19	895.34 Rmt	7.03 sqm (22/7x0.05x0.05 x 895.34 rmt)	2100	14763
Intergrated Residential Town Ship at Madhala	Ist to 5th	2204/95	564 Rmt	4.43 sqm (22/7x0.05x0.05 x 564 rmt)	3300	14619
					Total	**29382**

16 अनुबन्ध प्रमात्रा से अत्याधिक कार्य निष्पादन करने के परिणामस्वरूप विभिन्न निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में संविदाकारों को ₹28 लाख का अनियमित भुगतान

निर्माण कार्यों के आबंटन पत्र की शर्त के अनुसार “No deviation is permissible at site without the prior written approval on the Competent Authority”.

निम्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विभिन्न चलित बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि चलित बिलों में कुछ मदों के सम्बन्ध में अनुबन्ध में निर्धारित प्रमात्रा हेतु कार्य निष्पादित एवं भुगतान किया गया। इन मदों की अधिक प्रमात्रा में निष्पादन हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी, परिणामस्वरूप इन मदों पर विभिन्न चलित बिल तक ₹2799503 का अधिक व्यय किया जा चुका था, जो कि अनुबन्ध की शर्तों का सीधा उल्लंघन था। अतः अनुबन्ध में निर्धारित प्रमात्रा से अधिक मात्रा का भुगतान संविदाकारों को करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा साथ ही इन मदों पर किए गए अनियमित व्यय को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

निर्माण कार्य का नाम	कार्य मद संख्या एवं	माप पुस्तिका	कार्य की	किए गए कार्य की	भुगतान दर	Excess मात्रा	किया गया भुगतान	Excess in %

	कार्य मद का संक्षिप्त नाम	/पृ0सं0	मात्रा अनुबन्ध अनुसार	मात्रा				
C/o 192 Nos. houses for Urban Poor Integrated Housing & Slum Development Programme in Sec-4, Parwanoo	7(C) Prov. Foam work with steel plates of 3.15mm thick welded in Verticle surfaces such as walls	2234, P.No.4	$72m^2$	1449.04 m^2	150 per sqm	1377.04 m^2	206556	1912.55%
	7(g) Prov. Foam work with steel plates of 3.15mm thick welded in Edges of Slab and breaks in floors and walls under 20cm wide.	2234, P.No.5	65.22 Rmt	1541.59 Rmt	49.00 per Rmt	1476.37 Rmt	72342. 13	2263.67%
	13(d) Prov.CC M-20 in walls of any thickness	2234, P.No.5	12.88 m^3	203.51 m^3	3190 per m^3	190.63 m^3	608109.70	1480.04%
	20 Prov. Brick work using 2nd Class Common Clay building Bricks in	2234, P.No.9	77.79 m^3	150.36 m^3	3160 per m^3	72.57 m^3	229321.20	93.28%

	cc 1:6							
Intergrated Residential Town Ship at Madhala	(11) Prov TMT tor Steel	2204/85	4752 kg	6257.33 kg	64 per kg	1505.33 kg	96341.12	31.67%
	(26) Laying cc pipe NP-3	2204/93	35 rmt	103.80 Rmt	1410 per Rmt	68.80 Rmt	97008	296.57%
C/o 24 no. Cat-II Flat at Baddi	(5) Filling in Plinth with sand	2221/3	4.32 m^3	40.31 m^3	490	35.99 m^3	17635.10	833.10%
	(7) P/L CC 1:4:8	2221/7	29.76 m^3	76.31 m^3	2100	46.55 m^3	97755	156.41%
	{13(b)} suspe nded floor	2221/8	353.45 m^3	674.62 m^3	3320	321.17 m^3	1066284.40	90.86%
	(19)	2221/11	1.89 m^3	16.41 m^3	3400	14.52 m^3	49368	768.25%
	(23) RR masonary with cc 1:6:12	2221/13	163.80 m^3	232.92 m^3	1800	69.12 m^3	124416	42.19%
	(25) Squared R Masonary	2221/14	38.18 m^3	96.60 m^3	2300	58.42 m^3	134366	153.01%

17 Service Tax की ₹6.30 लाख को सम्बन्धित विभाग में जमा न करवाना

संविदाकारों के चलित बिलों से नियमानुसार सर्विस टैक्स की कटौती की गई थी तथा साथ ही कटौती की गई ₹6,30,069 को Custom & Central Excise Department में जमा नहीं करवाया गया था। इस प्रकार संविदाकारों के चलित बिलों से सर्विस टैक्स की राशि की कटौती करके सम्बन्धित विभाग में जमा न करवाना आपत्तिजनक ही नहीं अपितु एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता भी है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण में उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि सर्विस टैक्स की कटौती की गई राशि को सम्बन्धित विभाग में देरी से भी जमा करवाया गया था। अतः संविदकारों के चलित बिलों से सर्विस टैक्स की कटौती करने के उपरान्त सम्बन्धित विभाग में जमा न करवाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में कटौती की गई राशि को शीघ्र सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Month in which the	**Voucher No. under which service**	**Amount of**

amount of tax deducted from the Running Bill of Contractor	Tax was Recoverd	Service Tax not deposited till 31-3-15
Nov. 2014	53/29, 103/33, 105/33, 107/33, 153/37	30,427
Dec. 2014	31/24, 57/27, 77/28, 79/28, 81/29, 83/29, 128/34, 130/34, 133/34	55,751
Jan.2015	43/46, 45/46, 48/46, 50/46, 67/48, 71/49, 73/49	68,785
Feb. 2015	41/40, 50/41, 55/41, 57/41, 62/42, 70/43, 80/44, 91/45, 131/49	2,71,421
March. 2015	112/71, 114/72, 116/72, 146/75, 166/77, 187/80, 247/86, 259/87	2,03,685
	Total	**6,30,069**

18 Labour Cess की ₹11.40 लाख को सम्बन्धित बोर्ड में जमा न करवाना

Rule 15(III) of HP Building & other Construction Workers Rules 2008 read with Section 3 of Building & other construction workers cess act, 1996 के अनुसार "The Transfer of proceeds of the cess to the Board with in thirty days of its collection". अर्थात संविदाकार के चलित बिल से कटौती की गई लेबर सैस की राशि को कटौती करने से 30 दिन भीतर HP Building & other construction workers welfare board में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। संविदाकारों के चलित बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि चलित बिलों से लेबर सैस की कटौती की गई थी, परन्तु निम्नविवरणानुसार कटौती की गई ₹11,40,056 को HP Building & other Construction Workers Welfare Board में दिनांक 31.3.2015 तक अर्थात निर्धारित 30 दिन के भीतर जमा नहीं करवाया गया था। इस प्रकार संविदाकारों के चलित बिलों से लेबर सैस की राशि की कटौती करके सम्बन्धित विभाग में जमा न करवाया जाना आपत्तिजनक ही नहीं अपितु एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता भी है। अतः लेबर सैस की ₹11,40,056 को सम्बन्धित विभाग में जमा न करवाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा कटौती की गई लेबर सैस की राशि को शीघ्र सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Month in which the amount of Cess deducted from the Running Bill of Contractor	Voucher No. under which Labour cess was collected	Amount of Labour Cess not deposited till 31.3.2015
April-2014	108/128, 13/117, 31/119, 46/121, 52/122, 69/124, 106/128, 112/129, 119/130, 163/134	80,578
May-2014	33/138, 65/141, 92/144, 117/147, 119/147	83,505
June-2014	32/155, 46/156, 72/158, 85/159, 101/161, 108/161, 113/162, 136/163	73,415

July-2014	39/171, 57/173, 90/177, 124/180, 127//181, 129/181, 70/175, 179/185	1,07,983
August-2014	21/189, 57/192, 78/195, 113/198, 126/01, 128/01, 131/01, 136/01, 136/2, 138/2	1,16,651
September-2014	44/04, 67/7, 94/10, 106/11, 107/12, 116/13, 118/13, 124/14, 137/15, 140/15, 153/17, 175/19, 180/20, 188/21, 204/22, 207/23	39,737
October-2014	25/7, 62/10, 78/12, 74/12, 89/13, 109/15, 111/16, 125/17	83,345
November-2014	5/25, 36/27, 38/27, 53/29, 62/30, 86/31, 101/33, 103/33, 110/34, 114/34, 145/37, 152/37, 154/38	1,41,105
December-2014	31/24, 33/24, 42/25, 57/27, 77/28, 79/28, 112/32, 121/33, 128/34, 130/34, 133/34	47,580
January-2015	43/46, 45/46, 68/48, 71/79, 73/49, 100/52, 106/53, 113/54, 115/54, 117/54, 122/55	75,130
February-2015	34/39, 41/40, 50/41, 64/42, 66/42, 68/43, 70/43, 76/44, 78/44, 80/44, 86/45, 89/45, 91/45, 131/49, 134/49, 151/51	1,93,843
March-2015	47/65, 61/65, 53/65, 55/65, 57/66, 58/66, 83/68, 112/71, 146/75, 166/77, 185/79, 187/79, 213/82, 245/86, 247/86, 257/87, 259/87	97,184
	Total	**11,40,056**

19 संविदाकारों के चलित बिलों से Service Tax की कटौती न करके उनको ₹6.80 लाख का अनुचित लाभ प्रदान किए जाने बारे

CEO-cum-Secretary Himuda के कार्यालय ज्ञापन संख्या Himuda/Acctts-Bss/ServiceTax/2006,dt.18-6-2013 के क्रम संख्याः 5 अनुसार "Service Tax will be deducted and deposited to the concerned deptt on all works contractor for carrying out construction, addition, alteration, repair, maintenance, renovation, installation etc. w.e.f. 01-07-2012". । निम्न निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में अंकेक्षण में उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि यह निर्माण कार्य विभिन्न संविदाकारों को पत्र संख्या PD/HIMUDA/CB/A-15/2013-2938-45, dated 23-9-2013 and PD/HIMUDA/CB/A -15/2013-2930-37, dated 23-9-2013 and PD/HIMUDA/CB/A-15/2013-13019-26, dt. 20-06-2013 द्वारा आबंटित किए गए थे। इन पत्रों की शर्त संख्या 6 के अनुसार "Service Tax as applicable will be borne by you and subsequent reimbursement shall not be claimed by you from HIMUDA". । इस शर्त के अनुसार संविदाकार के चलित बिलों से Service Tax की कटौती आपेक्षित थीं। अंकेक्षण में चलित बिलों की जांच करने पर पाया गया कि संविदाकार के विभिन्न चलित बिलों से Service Tax की कोई कटौती नहीं की गई थी, जबकि उपरोक्त वर्णित कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 1.7.2012 से संविदाकार के सभी चलित बिलों से Service Tax की कटौती जानी आवश्यक थी। इस सम्बन्ध में मौखिक चर्चा के दौरान

बताया गया कि यह निर्माण कार्य Service Tax के दायरे में नहीं आते हैं, परन्तु इन निर्माण कार्यों, Housing Colony Jaraj, Nahan Housing colony Bhatolikhurd, Baddi and Intergrated Residential Town Ship at Madhala में निर्माण के आबंटियों हेतु किया गया था और इन निर्माण कार्य की निर्माण लागत को भविष्य में इन आवासीय बस्तियों की लागत में शामिल किया जाना और आबंटियों से वसूला जाना अपेक्षित है। इस प्रकार से यह निर्माण कार्य एक Commercial Activity होने के कारण इन निर्माण कार्यों से सर्विस टैक्स की कटौती करके सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी, परन्तु ऐसा न करके निर्माण मण्डल द्वारा संविदाकार को ₹6,79,845 का अनुचित लाभ प्रदान किया गया। अतः संविदाकार के चलित बिलों से सर्विस टैक्स की कटौती न किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

Name of Work	Running Bill No.	Gross Value of Work done (i.e. Total Value of Work Done Already Paid)	Amount of Service Tax due
C/o 100000 ltr water tank at Housing colony at Jarja, Nahan	3rd Running Bill	2082500 (MB 718 P.No. 64 to 67)	(2082500 x 40% = 833000 x 6.18% = 51,479)
C/o 100000 ltr. Water Tank at Housing Colony at Bhatolikhurd, Baddi	1st Running Bill	612500 (MB 2223 P.No. 1 to 8)	(612500 x 40% = 245000 x 6.18% = 15,141)
Intergrated Residential Township at Madhala	1st Running Bill to 5th Running Bill	24806876 (MB 2211 P.No. 6)	(24806876 x 40% = 9922750 x 6.18% = 6,13,225)
		Total	**6,79,845**

20 संविदाकार को जारी सीमेन्ट के मूल्य की ₹0.86 लाख Contractor Ledger में Debit न किया जाना

नियमानुसार निर्माण कार्य निष्पादित करने के लिए जो सामान संविदाकार को स्टोर से जारी किया जायेगा उसे संविदाकार के Contractor Ledger खाते में Debit किया जायेगा और जैसे ही उसके चलित बिल से उस सामान की रिकवरी की जायेगी, उस रिकवरी मूल्य से संविदाकार के खाते को क्रैडिट किया जायेगा। अंकेक्षण में उपलब्ध Contractor Ledger और बिन कार्ड इत्यादि की पड़ताल करने पर पाया गया कि ''PSFS at Jarja Nahan'' निर्माण कार्य के सन्दर्भ में संविदकार श्री जगमोहन को दिनांक 21.11.2014 को इण्डैंट संख्या 2607 द्वारा 400 बैग सीमेन्ट जारी किए गए थे, परन्तु जारी किए गए सीमेन्ट की प्रविष्टि Contractor Ledger में संविदाकार के खाते में नहीं की गई थी। इस प्रकार उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु जारी सीमेन्ट की प्रविष्टि बिन कार्ड में करके सम्बन्धित संविदाकार के Contractor Ledger खाते में डैबिट नहीं की गई थी। अतः निर्माण कार्य हेतु जारी

किए गए सीमेन्ट को संविदाकार के Contractor Ledger खाते में डैबिट न किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

21 निर्माण कार्यों के उद्घाटनों पर ₹2.25 लाख का परिहार्य व्यय करना

CPWD Works Manual 2007 के Section 6.3(1) के अनुसार "In case of foundation stone laying or opening ceremonies of Government project/works, the expenditure should be restricted to items like foundation stone, erection and hire of pandals, lighting arrangements, light refreshments such as tea, coffee or cold drinks and other incintal items. The Director Genral (Works)/Additional Director General/Chief Engineers are delegated powers to sanction such expenditure up to a limit given below on each occasion".

Designation of officer sanctioning the expenditure	Amount
Chief Engineer	2500
Additional Director General	10000

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण मण्डल द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के शिलान्यासों एवं उद्घाटनों पर अत्याधिक परिहार्य व्यय किया गया था, जिसके कुछेक उदाहरण निम्न दिए गए हैं। उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार Chief Engineer Himuda and CEO-cum-Secretary Himuda की पूर्व अनुमति से ही इस प्रकार के व्यय निर्माण मण्डल द्वारा करने अपेक्षित थे, परन्तु अंकेक्षण में इन सभी व्ययों की जांच करने पर पाया गया कि इस प्रकार की कोई भी पूर्व अनुमति सम्बन्धित अधिकारियों से नहीं ली गई थी। अतः उच्च अधिकारियों की पूर्व अनुमति लिए बिना निर्माण कार्यों के शिलान्यासों एवं उद्घाटनों पर किए गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार के सभी व्ययों को उपरोक्त वर्णित नियमों के अनुसार उच्च अधिकारियों की पूर्व अनुमति से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Name of Work	Voucher No.	Amount
Laying of Foundation stone in R/o Improvement of Water Supply at Parwanoo	132 dt. 28-8-2014	36650
	118 dt.25-8-2014	33880
	Jr. Vr. No. 10 of 8/2014 adjusted through Misc. Advance.	48485
Inguration of HIMUDA Guest House at Parwanoo	118 dt. 25-8-2014	36300
	132/1 dt. 28-8-2014	34200
	Jr. Vr. No. 10 of 8/2014	35760
	Total	**225575**

22 बिजली के बिलों में Sundry Charges ₹37.58 लाख का अनियमित भुगतान करना

विभिन्न मासों के बिजली बिलों की जांच करने पर पाया गया कि वाऊचर संख्याः 137, दिनांक 24.1.2015 द्वारा ₹51,97,178 का भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को निम्न बिजली के बिलों के लिए किया गया था। इन बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि "Sundry Charges" शीर्षक के अन्तर्गत ₹37,58,402 का भुगतान बिजली बिल के साथ हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड परवाणू को किया गया था। अंकेक्षण में उपलब्ध करवाए गए अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि निर्माण मण्डल द्वारा हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड से इस बारे में कोई पत्राचार/छानबीन नहीं की गई थी कि यह "Sundry Charges" किस कारण से निर्माण मण्डल के बिजली बिल में शामिल किए गए थे। अतः बिना किसी छानबीन के हि0प्र0 विघुत बोर्ड (HBSEB) को "Sundry Charges" शीर्षक के अन्तर्गत ₹37,58,402 के भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही इस सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड परवाणू से उचित पत्राचार किया जाए और इस शीर्षक के अन्तर्गत बिजली बिल में सम्मलित राशि बारे में उचित छानबीन की जानी सुनिश्चित की जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Bill No.	Account Number	Meter No.	Amount of Bill	Sundry Charges	Total Amount of Bill
3398	K 4-1	14448	10,44,350	31,34,832	41,79,182
3396	WS-1	7428588	56,684	0	56,684
3397	PL2-3	11391835	23,162	0	23,162
3395	K3-2	11414791	3,14,580	6,23,570	9,38,150
		Total	**14,38,776**	**37,58,402**	**51,97,178**

23 Attached Vehicle की ₹7800 लाख की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग(व्यय) के पत्र संख्या फिन–1(सी)–14–1/ खण्ड–II, दिनांक 8.9.2010 में दी गई सारणी के क्रम संख्याः 2 के अनुसार Sub-Divisional, Tehsil and block HQ में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ Attached Vehicle होने पर उनसे प्रति माह न्यूनतम ₹300 की वसूली की जानी अपेक्षित है। निर्माण मण्डल के वाहन एच0पी0 20–0016 की लॉग बुक की पड़ताल करने पर पाया गया कि यह वाहन निर्माण मण्डल के अधिशासी अभियन्ता के साथ Attached था। अंकेक्षण में अधिशासी अभियन्ता के वेतन बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अवधि 1.1.2014 से 28.2.2016 के दौरान उनके वेतन से Attached Vehicle की कोई वसूली नहीं की गई थी। इस प्रकार इस अवधि तक निम्न विवरणानुसार कुल ₹7800 की वसूली अधिशासी अभियन्ता के वेतन बिल से नहीं की गई थी। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति दर्ज करने के उपरान्त ₹7800

को रसीद संख्याः 120384, 120385, दिनांक 6.5.2016 को निर्माण मण्डल निधि में जमा करवाया गया। अतः भविष्य में अधिशाषी अभियन्ता के वेतन बिल से Attached Vehicle की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

अवधि	वित्त विभाग (व्यय) हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या फिन–1(सी)–14–1/खण्ड–II, दिनांक 8.9.2010 में दी गई सारणी के क्रम संख्या 2 के अनुसार प्रति माह वसूली जाने वाली राशि	कुल राशि
1.1.14 से 28.2.16 (कुल 26 माह)	300	7800

24 मकान किराया भत्ते की ₹6600 का अनियमित भुगतान करना

नियमानुसार यदि किसी सरकारी कर्मचारी के पति या पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हों और एक ही मकान में रहते हों तो मकान किराए भत्ते का मासिक भुगतान किसी एक कर्मचारी को किया जाएगा तथा साथ ही मकान किराए भत्ते का भुगतान प्राप्त करने से पूर्व पति एवं पत्नी का संयुक्त घोषणा पत्र, जो कि उनके विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित हो, प्राप्त किया जाना अपेक्षित है, परन्तु निर्माण मण्डल के वेतन बिलों की पड़ताल में पाया गया कि निम्न कर्मचारियों के मामले में इस नियम का पूर्णतया पालन नहीं किया गया था। इस प्रकार अपेक्षित घोषणा पत्र प्राप्त किए बिना ही अवधि 1.4.2014 से 31.3.2015 के दौरान इन कर्मचारियों को ₹6600 का मकान किराये भत्ते का अनियमित भुगतान किया गया था। अतः इस सम्बन्ध में उपरोक्त नियम का पूर्णतया पालन करते हुए मकान किराए भत्ते का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए और आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना प्रस्तुत किया जाए :–

कर्मचारी का नाम पदनाम	कर्मचारी के पति/पत्नी का नाम	विभाग जिसमें पति/पत्नी कार्यरत हैं	मकान किराए भत्ते की भुगतान की गयी राशि	अवधि
Sh. Naresh Kumar	Smt. Shashi Prabha	HP Education Department	6600	1.4.2014 से 31.3.2015
		Total	**6600**	

25 यात्रा भत्ते दावे की ₹6372 का अनियमित भुगतान करना

वर्ष 2014–15 के व्यय वाऊचरों के अवलोकन से पाया गया कि हिमुडा निर्माण मण्डल परवाणू के सहायक अभियन्ताओं को सरकारी यात्रा हेतु व्यक्तिगत वाहन के उपयोग करने पर यात्रा भत्ते दावे के रूप में ₹6372 का अनियमित भुगतान किया गया था। हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र संख्याः हिमुडा 5–439/2005, दिनांक 16.2.2015 के अनुसार सहायक अभियन्ता को सरकारी कार्य हेतु व्यक्तिगत वाहन उपयोग करने से पूर्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से पूर्व स्वीकृति लेनी आवश्यक थी, परन्तु निम्न मामलों में सहायक अभियन्ता द्वारा

सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से पूर्व स्वीकृति लिए बिना अपने व्यक्तिगत वाहन का उपयोग सरकारी यात्रा के लिए किया गया और ऐसा करने से सहायक अभियन्ता को यात्रा भत्ते दावे के रूप में ₹6372 का अनियमित भुगतान किया गया, जिसका औचित्य उपरोक्त पत्र में वर्णित अनुदेशों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाए, अन्यथा इस सम्बन्ध में नियमानुसार उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए, कृत कार्यवाही से इस विभाग को शीघ्र सूचित किया जाए।

Jurnal Voucher No.	Name of Assistant Engineer	KM for which TA is Claimed & Paid	Rate per KM	Total Amount	Remarks
2 of 10/2014	Shri Joginder Singh	1062	6.00	6372	Journey from Naha to Panota & Back, Nahan to Moginand & Back, Nahan to Shilai & Back, Nahan to Trilokpur & Back

26 चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की ₹2426 का अधिक भुगतान करना

माह 8/2014 के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वाऊचर संख्याः 5, दिनांक 8/2014 में निम्न निर्माण मण्डल कर्मचारी को चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों में कुछ अदेय दवाइयों अर्थात जिनका भुगतान नागरिक सेवा (चिकित्सा नियम) 1944 के अन्तर्गत देय नहीं थी, उनका भुगतान किया गया तथा डाक्टर द्वारा लिखी गई दवाईयों से अधिक दवाईयों का भुगतान भी किया गया था, जिसके कारण उक्त कर्मचारी को ₹2426 का अधिक भुगतान किया गया, जिसका पूर्ण विवरण निम्न दिया गया है।

कर्मचारी का नाम/पदनाम	अदेय दवाईयों का विवरण	राशि	टिप्पणी
Smt. Kamlesh Goel	60 Tabs, Piosys	306	डाक्टर द्वारा केवल 30 Tabs लिखी गई थी।
	60 Tabs, D3	247	डॉक्टर द्वारा केवल 30 Tabs लिखी गई थी।
	60 Tabs Acidaz	189	डॉक्टर द्वारा केवल 30 Tabs लिखी गई थी।
	100 Tabs Thyroom	115	डॉक्टर द्वारा दवाई लिखी नहीं गई थी।
	120 Tab Amblobess	345	डॉक्टर द्वारा केवल 30 Tabs लिखी गई थी।
	120 Tabs Dyter	1224	डॉक्टर द्वारा दवाई लिखी नहीं गई थी।
	Total	**2426**	

27 **लघु आपत्ति विवरणिका :–** यह अलग से जारी नहीं की गई हैं क्योकि लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

28 **निष्कर्ष :–** लेखाओं के रख–रखाव में और सुधार की अति आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः (एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)121/88–खण्ड–17–5132–5134,दिनांकः 24.09.2016, शिमला–9

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1 अधिशासी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल–परवाणू, जिला सोलन को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई उचित कार्रवाई का सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2

3 सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम विहार, शिमला–2 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि इस प्रतिवेदन के पैरा 1(ख) के सन्दर्भ में उचित कार्रवाई करवाना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

परिशिष्ट–"क"

(अंकेक्षण पैरा संख्याः 1(ग) में सन्दर्भ में)

(1) निर्माण मण्डल मण्डी से स्थानांतरित पैरे				**टिप्पणी**
क)	अवधि 1984–85	पैरा 19(एफ)	अनिर्णीत	
ख)	अवधि 1985–86	पैरा 6	निर्माण मण्डल परवाणू में निर्णीत	(पत्र संख्या HIMUDA/AB/LAD / 2007/3404-09 dated 3-11-07 के अन्तर्गत सम्बन्धित निर्माण मण्डल को स्थानांतरित)
ग)	अवधि 1987–88	पैरा 8(सी)	निर्माण मण्डल परवाणू में निर्णीत	(पत्र संख्या HIMUDA/AB/LAD /2007/3404-09, dated 3-11-2007 के अन्तर्गत सम्बन्धित निर्माण मण्डल को स्थानांतरित)
घ)	अवधि 1987–88	पैरा 10(ई)	निर्माण मण्डल परवाणू में निर्णीत	(पत्र संख्याः HIMUDA/AB/LAD /2007/3404-09, dated 3-11-2007 के अन्तर्गत सम्बन्धित निर्माण मण्डल को स्थानांतरित)

(2) शिमला मण्उल–II से परवाणू निर्माण मण्डल को स्थानांतरित पैरे

(क) अंकेक्षण अवधि 4/1991 से 3/1992

1)	पैरा 5(ण)	अनिर्णीत	
2)	पैरा 5(त)	अनिर्णीत	
3)	पैरा 9(क)	अनिर्णीत	

(ख) अंकेक्षण अवधि 4/1993 से 3/1994

1)	पैरा 7(ग)	निर्माण मण्डल परवाणू में निर्णीत	(पत्र संख्याः HIMUDA/AB/LAD/2007/3404-09, dt. 3-11-2007 के अन्तर्गत सम्बन्धित निर्माण मण्डल को स्थानांतरित)
2)	पैरा 19	निर्माण मण्डल परवाणू में निर्णीत	(पत्र संख्याः HIMUDA/AB/LAD/2007/3404-09, dt. 3-11-2007 के अन्तर्गत सम्बन्धित निर्माण मण्डल को स्थानांतरित)

(ग) अंकेक्षण अवधि 4/1994 से 3/1995

1) पैरा 17 निर्माण मण्डल परवाणू में निर्णीत (पत्र संख्याः HIMUDA/AB/LAD/2007/3404-09, dt. 3-11-2007 के अन्तर्गत सम्बन्धित निर्माण मण्डल को स्थानांतरित)

(3) निर्माण मण्डल परवाणू के पैरे

(क) अंकेक्षण अवधि 4/1995 से 3/1996

1) पैरा 9 अनिर्णीत

2) पैरा 12 निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण उपरान्त)

(ख) अंकेक्षण अवधि 4/2000 से 3/2001

1) पैरा 23 अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण अवधि 4/2006 से 3/2007

1) पैरा 20 अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण अवधि 4/2008 से 3/2009

1) पैरा 17 आंशिक निर्णीत

(ङ) अंकेक्षण अवधि 4/2010 से 3/2011

1) पैरा 8(3) अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण अवधि 4/2012 से 3/2013

1) पैरा 7(क) निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण उपरान्त)

2) पैरा 9(क) निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण उपरान्त)

3) पैरा 10(15) निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण उपरान्त)

4) पैरा 12(क) निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण उपरान्त)

5) पैरा 12(ख) निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण उपरान्त)

6) पैरा 12(ग) अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2014

1) पैरा 4(क) निर्णीत (वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)

2) पैरा 4(ख) निर्णीत (वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)

3) पैरा 4(ग)(i)(ii) अनिर्णीत

4) पैरा 5(क) निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)

5) पैरा 5(ख) निर्णीत (आवश्यक स्पष्टीकरण के पश्चात)

6) पैरा 6 निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)

7) पैरा 7 निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)

8) पैरा 8 निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण उपरान्त)

9) पैरा 9(1) निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण उपरान्त)

10) पैरा 9(2) निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण उपरान्त)

11) पैरा 9(3) अनिर्णीत

12) पैरा 10(1) निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण उपरान्त)

13) पैरा 10(2) निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण उपरान्त)

14) पैरा 10(3) निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण उपरान्त)

15) पैरा 10(4) निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण उपरान्त)

16) पैरा 10(5) निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण उपरान्त)

17) पैरा 10(6) निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण उपरान्त)

18) पैरा 10(7) निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण उपरान्त)

19) पैरा 10(8) निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण उपरान्त)

20) पैरा 10(9) निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण उपरान्त)

21) पैरा 11 निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण उपरान्त)

22) पैरा 12(1) निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण उपरान्त)

23) पैरा 12(2) निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण उपरान्त)

24) पैरा 12(3) निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण उपरान्त)

25) पैरा 12(4) निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण उपरान्त)

26) पैरा 13(1) निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण उपरान्त)

27) पैरा 13(2) निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण उपरान्त)

28) पैरा 13(3) निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण उपरान्त)

29) पैरा 13(4) निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण उपरान्त)

30) पैरा 14 अनिर्णीत

31) पैरा 15 अनिर्णीत

32) पैरा 16 अनिर्णीत

33) पैरा 17(1) निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण उपरान्त)

34) पैरा 17(2) निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण उपरान्त)

35) पैरा 17(3) निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण उपरान्त)

36) पैरा 17(4) निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक के निरीक्षण उपरान्त)

37) पैरा 18(क) व (ख) अनिर्णीत